डॉ0 राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा,बिहार – 848125

पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र, पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण, बिहार

पत्रांक0सं0 70 / सी.ओ.इ.आई.बी/आर.जी.एम./पिपराकोठी/2026-27 दिनांक :- 23/06/26

नीलामी की सूचना

राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पिपराकोठी , पूर्वी चम्पारण एवं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, माधोपुर, पश्चिमी चम्पारण, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार में कुल 55 (पचपन) गौ वंशीय पशुओ (आर.जी.एम. माधोपुर में 37 और आर.जी.एम. पिपराकोठी मे 18) की बिक्री विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की देख–रेख में दिनांक 01.07.2026 एवं 02.07.2026 को खुली नीलामी द्वारा की जायगी। नीलामी की प्रक्रिया के दौरान 01/02 गाय अथवा बाछी पर 01 बाछा को संलग्न कर 01 (एक) इकाई मानते हुए नीलामी की जायेगी अर्थात 01/02 गाय या बाछी के साथ 01 बाछा अनिवार्य रूप से दी जायेगी। अगर नीलामी की प्रक्रिया उक्त तिथि तक पूरी नहीं हो पायी तो ये प्रक्रिया अगले दिन भी जारी रहेगी। नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10:30 बजे से प्रारम्भ होगी। नीलामी में डाक बोलने वाले पशुपालक किसानों को मो0 3000/–(तीन हजार) रूपयें मात्र नगद जमानत राशि के रुप में जमा करने एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान कार्ड / पैन कार्ड /ड्राईविंग लाईसेंस / राशन कार्ड) की छायाप्रति जमा करने के बाद ही नीलामी में भाग लेने दिया जायेगा। पशु/पशुओं के क्रय उपरान्त इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि खरीद की गई पशु/पशुओं को दुग्ध उत्पादन, प्रजनन एवं कृषि कार्य में उपयोग की जायेगी। जो पशुपालक किसान नीलामी में पशु क्रय करने में सक्षम नहीं हो पायेंगें उन्हें जमानत की राशि नीलामी समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जायगी। अधिकतम डाक बोलने वाले किसान को नीलामी समाप्त होते ही पूरी देय रकम पॉश मशीन द्वारा/नगद जमा करना होगा तथा पशु को 24 घंटे के अन्दर प्रक्षेत्र से अनिवार्य रूप से हटा लेना होगा, अन्यथा निर्धारित अवधि के बाद दो वर्ष से कम उम्र वाले पशुओं के लिए मो0 100/– (एक सौ) रूपये प्रतिदिन प्रति पशु एवं दो वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पशुओं के लिए मो0 200/– (दो सौ) प्रतिदिन प्रति पशु की दर से खुराकी चार्ज जमा करने के बाद ही पशुओं का उठाव करने दिया जायेगा। अधिकतम डाक बोलने वाले पशुपालक किसान को नीलामी समाप्ति तिथि से अधिकतम 10 (दस) दिनों के अन्दर ही खुराकी चार्ज देकर पशुओं का उठाव अनिवार्य होगा, अन्यथा जमानत की राशि जप्त कर ली जायगी। नीलामी के 24 घंटे के बाद अगर पशुओं को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रक्षेत्र पर नहीं होगी। पूरी नीलामी अथवा किसी एक पशु की नीलामी बिना कारण बतायें स्थगित अथवा रद्द करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

23/06/26

परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय गोकुल मिशन,

Project Director, परियोजना निदेशक
Rashtriya Pashudhan Vikas Yojana
राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना
CoEIB, RGM, Piprakothi, East Champaran-845429
& ICCIC Madhopur West Champaran-845454

प्रतिलिपिः

1. निदेशक अनुसंधान डा0रा0प्र0के0कृ0वि0,पूसा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी पदाधिकारी, ई–गवर्नेन्स सेल, डा0रा0प्र0के0कृ0वि0,पूसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। नीलामी सम्बन्धित पशुओं की सूची की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त नीलामी की सूचना जनसाधारण के लिये विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाय।
3. राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पिपराकोठी के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

Scanned with OKEN Scanner